Rcms 2019/00314

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीगणः– मोहम्मद ईकबाल पुत्र सदीक जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान वगैराह।

बनाम्

अप्रार्थीगणः– हनीफ पुत्र बल्ला जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**49** ...सन्–.....**2019**....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30.05.2019	प्रार्थीगण मोहम्मद ईकबाल पुत्र सदीक जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण हनीफ पुत्र बल्ला जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। इससे पूर्व केवियट प्रार्थना पत्र पेश हो रखा है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। ग्राम बालिया के खसरा संख्या 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी वर्तमान में पदमसिंह, बल्लू कंवर, मुमताज खां के नाम से दर्ज है। जो कि रिर्कोडेड खातेदार है। रिर्कोडेड खातेदारों के विरूद्ध स्थगन दिया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक **12.07.2019** को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
12/7/19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 12/9/19 को पेश हो।	
12/9/19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 29/11/19 को पेश हो।	
29/11/19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 28/1/20 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:06:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

27/9/22

पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 21/11/22 को पेश हो ।

21/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश करे। पेश नही करने की स्थिति मे 09 R 5 CPC के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/1/23 को पेश हो।

16/01/23

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है अतः न्यायालय के आदेश की अवहेलना के 09 R 5 CPC के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल मुताबिक ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:06:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner